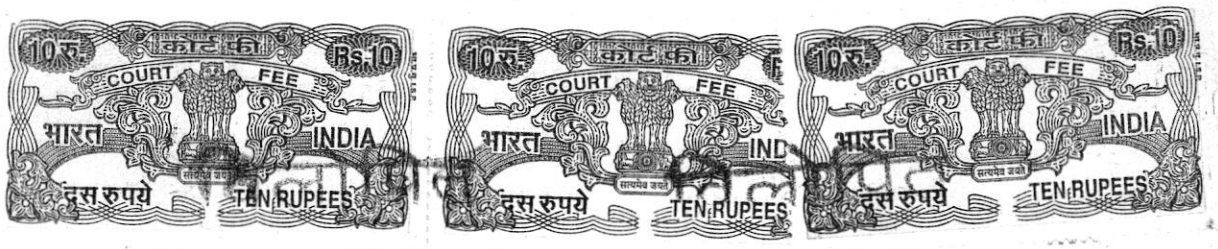

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0 – /2017 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2006

1– गंगा राम पुत्र कमल सिंह रघुवंशी

2– बृजेश पुत्र भमरलाल ब्राहमण

दोनों ग्राम करख्या तहसील शाढौरा

जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरुद्ध

1– लदूरा पुत्र फतुआ जाति चमार ग्राम करख्या

तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर

2– म0प्र0शासन व्दारा राजस्व निरीक्षक

तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – राजस्व निरीक्षक, वृत्त शाढौरा व्दारा प्र0क0 18 अ–12/ 2016–17 में किये गये सीमांकन दिनांक 24–5–17 के विरुद्ध, जिसमें पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की गई है।)

महोदय,

यह कि ग्राम करख्या में अनावेदक क्रमांक 1 के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 290/1 रकबा 0.407 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 309/4क रकबा 0.500 हैक्टर, सर्वे नं. 305/1 रकबा 0.500 है. है। इसी भूमि से लगी हुई भूमि आवेदकगण की है। दिनांक 24–5–17 को मेढ़िया कास्तकारों को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना राजस्व निरीक्षक शाढौरा एंव हलका पटवारी ने अनावेदक क्रमांक–1 की भूमि का सीमांकन कर दिया एंव आवेदक क–1 की भूमि में से 0.200 है. भूमि नापकर अनावेदक क्रमांक –1 की होना बता दी गई। इसी प्रकार आवेदक क्रमांक 2 की भूमि में से 0.100 है. भूमि अनावेदक क्रमांक–1 की होना बता दी गई, जिसकी सूचना आवेदकगण को प्रदान नहीं की गई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू.रा./2017/2006

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-10-2017	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त शाढ़ौरा तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 18 अ 12/16–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–5–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण एंव अनावेदक के अभिभाषंक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त शाढ़ौरा के प्रकरण क्रमांक 18 अ 12/16–17 का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक को प्राप्त पटटे की भूमि स0क0 290/1 रकबा 0.400 है0 तथा स0नं0 309/4क रकबा 0.500 है0 का उसके व्दारा सीमांकन कराया गया है स.क.309/4 के रकबा 0.200 पर आवेदक गंगाराम का , सर्वे क्रमांक 0.100 हैक्टर पर बृजेश कुमार का बेजा कब्जा पाया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि के सीमांकन में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सीमांकन किया गया है एंव उनके खाते की जमीन अनावेदक को गलत ढंग नाप कर आवेदकगण की भूमि में हेाना बताया गया है क्योंकि अनावेदक को पटटे पर दी गई भूमि राजस्व कागजात में तो अंकित है किन्तु पटटा अनुसार दिये गये कब्जे की भूमि नक्शें में न होने स्थल पर नहीं है जिसके कारण यह भ्रॉति हुई है कि आवेदकगण पटटे की भूमि पर कब्जा किये हैं। 4/ प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने से स्थिति यह है कि जब अनावेदक के पटटे की भूमि का सीमांकन किया गया, अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का बेजा कब्जा पाया गया। यदि कब्जे की भूमि को आवेदक स्वयं की भूमि होना बताते हैं तव वह स्वयं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से अथवा उनसे वरिष्ठ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख/ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सवस्य	